झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–215 / 2019

परमेश्वर प्रसाद केशरी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, रांची।
2. महाप्रबंधंक–सह–मुख्य अभियंता, झारखण्ड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, रांची।
3. विद्युत अधीक्षण अभियंता, झारखण्ड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, रांची।
4. विद्युत कार्यफलक अभियंता, झारखण्ड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, रांची।
5. सहायक अभियंता, झारखण्ड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड, रांची।

.... उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री अमित कुमार, अधिवक्ता

राज्य–उत्तरदाताओं के लिए : कोई नहीं

आदेश संख्या 03 : दिनांक 20 सितंबर, 2019

यह सिविल विविध याचिका डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–4569 / 2015 की पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जिसे दिनांक 04.01.2019 के आदेश द्वारा गैर–अभियोजन के वजह से खारिज कर दिया गया है।

गैर–अभियोजन के लिए रिट याचिका को खारिज करने का कारण इस याचिका में खुलासा किया गया है जैसा कि इसके कंडिका–6 से प्रकट होगा कि याचिकाकर्त्ता ने पहले के अधिवक्ता से एन0ओ0सी0 ले ली है और उसके बाद वह बीमार हो गया है, इसतरह, कोई नया अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सका और जब मामला बोर्ड पर सूचीबद्ध कियाा गया था, तो किसी ने भी याचिकाकर्त्ता का

प्रतिनिधित्व नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप, गैर–अभियोजन के लिए रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

यह निवेदन किया गया है कि यदि रिट याचिका को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित नहीं किया जाए, तो याचिकाकर्त्ता को अपूरणीय क्षति और हानि होगा और उसके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है, वह अनिर्णीत रह जाएगा, इसलिए, रिट यायचिका को पुनःस्थापित किया जाना चाहिए।

झारखण्ड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं होता है, हालांकि डेली काउज लिस्ट में विद्वान अधिवक्ता का नाम प्रतिबिंबित हो रहा है।

यह न्यायालय, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और इस याचिका में बताए गए कारणों पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इस वाद की अनुमति दी जानी चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप, रिट याचिका डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–4560/2015 को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है, तदनुसार, इस सिविल विविध याचिका की अनुमति है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)